

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
// सूचना //

भोपाल दिनांक 18/02/2021

क्रमांक-एफ-3-35/2021/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-2915/वि.यो. 496/नग्रानि/2020, भोपाल दिनांक 04/08/2020 द्वारा प्रकाशित धार विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार धार निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- 1 आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर म0प्र0 ।
- 2 कलेक्टर, जिला धार म0प्र0 ।
- 3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर म0प्र0 ।
- 4 मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् धार म0प्र0 ।

अनुसूची

क्रं.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	धार विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6-सा-15	4	सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6-सा-15	7	सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या-


- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17(क) में वर्णित अनुसार।

टीप:-उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(डॉ० शुभाशीष बैनर्जी)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग